ICRW
INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON WOMEN
PASSION. PROOF. POWER.

आओ योजनाओं को जाने

किशोरी सशक्तिकरण में सहायक योजनाएँ

नवीनीकरण: दिसंबर २०२०

प्रस्तावना

यह पुस्तिका उमंग कार्यक्रम द्वारा बनाई गई है और यह विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं का संकलन है जिनका मुख्य उद्देश्य किशोरियों और उनके परिवारों का कल्याण है। इस पुस्तिका की पाठ्यसामग्री जैसे कि ग्राफिक्स, शब्दावली, छवियाँ, चित्रण और अन्य सामग्रियों का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है, ताकि समुदाय और अन्य हितधारक जो किशोरियों के लिए काम कर रहे हैं उनकी इन योजनाओं के विषय में जानकारी और परिणामतः जागरूकता बढ़े। इस पुस्तिका के द्वारा उन्हे आसानी से और सरल भाषा में जानकारी प्राप्त हो जाएगी।

यह पुस्तिका कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। यह पुस्तिका सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त कार्यकर्ताओं और समुदाय स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका का काम करेगी ताकि वे किशोरों, किशोरियों, बच्चों और अभिभावकों को विभिन्न विभागों की योजनाओं के साथ–साथ उन तक पहुँचने की प्रक्रिया की जानकारी भी दे पाएँ। यह केवल सरकारी योजनाओं का एक संकलन है और ICRW तथा उसकी साथी संस्थाओं का इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई भूमिका नहीं है। साथ ही यह पुस्तिका किसी विशेष योजना के प्रचार प्रसार के लिए नहीं बनाई गई है। इस दस्तावेज में जो योजनाएँ चिन्हित की गई हैं इनके अलावा भी कई ऐसी योजनाएँ हो सकती हैं जिन्हें यहाँ नहीं दर्शाया गया है।

इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए समुदाय तथा किशोर किशोरियों को स्वयं पहल करनी होगी। उमंग टीम की भूमिका केवल जागरूकता बढ़ाने और इन योजनाओं की सही जानकारी देने तक सीमित है। इन योजनाओं की पात्रता जैसे उम्र, देय राशि आदि में समय समय पर सरकार द्वारा बदलाव किए जा सकते हैं और ICRW तथा उसकी सहयोगी संस्थाओं को इन बदलावों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

दस्तावेज के हिन्दी रूपान्तरण में हर संभव ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो पर अगर कोई त्रुटि या विसंगति नजर आती है तो इसे ICRW के संज्ञान में तुरंत लाया जाये। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि न ICRW और न ही उमंग टीम किसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा। पाठकों को यह सलाह दी जाती है कि वे इन योजनाओं से संबन्धित सरकार के अधिनियमों/अधिसूचनाओं/नियमों को मूल दस्तावेजों से भी सत्यापित करें अगर उन्हे किसी भी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो। साथ ही वे संबन्धित विभागों के पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर सकते हैं। अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच किसी भी अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

.

ICRW उमंग टीम

योजना संकलन पुस्तिका

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा एवं किशोर किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं परंतु जानकारी के अभाव में (खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में) इन योजनाओं की लाभार्थियों तक पहुँच सीमित है।
अतः उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत इन योजनाओं का संकलन इस पुस्तिका में कर इन्हे लक्षित समूह तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यह पुस्तिका इन योजनाओं की जागरूकता तथा पहुँच को बढ़ाने के लिए एक उपयोगी सूचना, जानकारी और संचार सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। सरकारी विभाग और स्वयं सेवी संस्थाएं इस पुस्तिका का इस्तेमाल कर किशोर और किशोरी शक्तिकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बना सकते हैं।

योजना संकलन की प्रक्रिया

उमंग कार्यकर्ताओं ने प्रखंड एवं जिला स्तर पर स्थापित सम्बंधित कार्यालयों एवं विभागीय पदाधिकारियों से संपर्क बनाया और इन कार्यालयों से चलाई जा रही योजनाओं को चिन्हित करते हुए विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही इन्टरनेट एवं सम्बंधित विभागों की वेबसाइट पर योजनाओं के संबंध में दी गई जानकारियों को भी पदाधाकारियों से साँझा करते हुए बुकलेट को अपडेट किया। बुकलेट की ड्राफ्ट प्रति पर समुदाय और झारखण्ड राज्य सोशल ऑडिट डायरेक्टरेट और श्रम विभाग के पदाधिकारियों से भी प्रतिक्रिया ली गई। इस प्रक्रिया के बाद इस दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया।

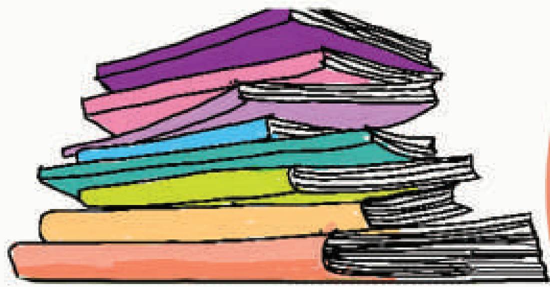

अनुक्रम

क्रमांक	योजना	पृष्ट
	किशोर किशोरियों से सम्बंधित योजना	
1	मध्याह्न भोजन	2
2	विद्यालय यूनिफार्म, निःशुल्क किताब	2
3	साइकिल योजना	2
4	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	2
5	छात्रवृति	3
6	एकलव्य आवासीय विद्यालय	3
7	आश्रम विद्यालय	3
8	मुख्यमंत्री सुकन्या योजना	4
9	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	4
10	स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वालंबन प्रोत्साहन योजना	5
11	पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर)	6
12	बाल प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप योजना)	6
13	दक्षता एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण	7
14	सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण	8
15	नर्सिंग प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र	9
	किशोर किशोरियों के परिवारों से सम्बंधित	
1	अन्तरजातीय विवाह	11
2	समेकित बाल विकास योजना	12
3	समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत कुपोषण उपचार केंद्र	12
4	मुख्यमंत्री मातृत्व जननी सुरक्षा योजना	13
5	प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (PMMVY)	13
6	जन वितरण प्रणाली	14
7	अंत्योदय योजना	14
8	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	14
9	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA)	15

क्रमांक	योजना	पृष्ट
10	प्रधानमंत्री वृद्धावस्था योजना	15
11	प्रधानमंत्री आवास योजना	16
12	प्रधानमंत्री जन–धन योजना	17
13	अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के अंतर्गत "लाल कार्ड और हरा कार्ड	18
14	श्रमिक औजार सहायता योजना	19
15	साईकिल सहायता योजना	19
16	मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना	20
17	चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना	21
18	चिकित्सा सहायता योजना	21
19	मातृत्व प्रसुविधा योजना	21
20	अंत्येष्टि सहायता योजना	22
21	विवाह सहायता योजना	22
22	पेंशन योजना	22
23	निःशक्तता पेंशन	23
24	परिवार पेंशन योजना	23
25	अनाथ पेंशन	23
26	निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना	24
27	असंगठित कर्मकार बीमा योजना	25
28	अंत्येष्टि सहायता योजना	25
29	असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिए मुख्य मंत्री छात्रवृति योजना	25
30	कौशल उन्नयन योजना	26
31	चिकित्सा सहायता योजना	26
32	वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना	27
33	युवा क्लब (समूह)	27
33	कौशल विकास योजनाएँ	28
34	कौशल विकास योजनाएँ	28

स्पष्टीकरण

1. यह ifLrdk "सरकारी योजनाओं" का संकलन है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आई. सी. आर. डब्लयु.(ICRW) या आई. सी. आर. डब्लयु.(ICRW) की सहयोगी संस्थाओं की कोई भूमिका नहीं है।

2. किशोरों, किशोरियों और समुदाय से सम्बंधित योजनाओं को इस ifLrdk में संकलित करने की कोशिश की गई है, परन्तु इन योजनाओं के अलावा सरकार की और भी योजनाएँ हो सकती हैं जो यहाँ शायद आपको न मिलें।

3. किशोरों, किशोरियों और समुदाय को इन योजनाओं से जुड़ने के लिए स्वयं पहल करनी होगी। उमंग कार्यकर्ताओं की भूमिका योजनाओं के प्रचार–प्रसार और जानकारी देने तक ही सीमित है।

4. इन योजनाओं में दर्शाए गए उम्र, पात्रता, देय राशि एवं अन्य मानदंडों में समय–समय पर बदलाव आ सकते हैं, जिनके लिए आई. सी. आर. डब्लयु.(ICRW) या आई. सी. आर. डब्लयु. (ICRW) की सहयोगी संस्थाएँ ज़िम्मेदार नहीं होंगी।

किशोरों किशोरियों से संबंधित योजनाएँ

मानव संसाधन विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
मध्याह्न भोजन : ● क्लास 8 तक के सभी बच्चो को दोपहर में निःशुल्क भोजन ● सप्ताह में 3 दिन अंडा और 3 दिन सब्जी	● प्रधान शिक्षक ● विद्यालय प्रबंधन समिति	● विद्यालय नामांकन का प्रमाण	● सरकारी विद्यालय छात्र ● बैंक खाता
वार्षिक 2 जोड़ी यूनिफार्म और निःशुल्क किताबें : ● कक्षा 1–2: विद्यालय प्रबंधन द्वारा वितरण ● कक्षा 3–8 (लड़के लड़की दोनों को) और 9–12 (केवल किशोरियों के लिए) : पैसे का खाते में हस्तांतरण	● प्रधान शिक्षक ● विद्यालय प्रबंधन समिति	● विद्यालय नामांकन का प्रमाण	● सरकारी विद्यालय छात्र ● बैंक खाता
सभी किशोरियों को साइकल : ● कक्षा 8 पास किशोरियों को रू 3500/– बैंक खाते में	● प्रधान शिक्षक ● विद्यालय प्रबंधन समिति	● विद्यालय नामांकन का प्रमाण	● सरकारी विद्यालय छात्र ● बैंक खाता
कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (K.G.B.V.) ● ड्रॉप आउट किशोरियों के लिए कक्षा 6 से 12 तक की आवासीय शिक्षा की व्यवस्था ● शिक्षा का पूर्ण खर्च (यूनिफार्म, किताबें, आवास, भोजन, चिकित्सा)	● वार्डन, (K.G.B.V.) ● ज़िला शिक्षा पदाधिकारी	● जाति प्रमाण पत्र ● आधार कार्ड ● आवासीय प्रमाण पत्र	● अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ी जाति (OBC) की छात्रा ● पास की गई कक्षा से 1 वर्ष का अंतर ● उपायुक्त द्वारा अनुमोदन

कल्याण विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
छात्रवृति • कक्षा 1–4 = रु. 500/– प्रति माह • कक्षा 5–6 = रु. 1000/– प्रति माह • कक्षा 7–8 = रु. 1500/– प्रति माह • कक्षा 9–10= रु. 1500 (SC/ST के लिए रु. 2250/–) प्रति माह	• स्कूल से HM के अनुमोदन के बाद BEEO/BRC द्वारा अनुमोदित कर ज़िला कल्याण विभाग कार्यालय में आवेदन जमा होगा	• जाति प्रमाण पत्र • विद्यालय प्रमाण पत्र • पास की गई कक्षा का रिजल्ट • संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्र	• अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जाति
एकलव्य आवासीय विद्यालय (कुल 248 सीट प्रति विद्यालय) : • 10वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा			• अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति • प्रवेश परीक्षा के आधार पर कक्षा 6, 7 एवं 8 में नामांकन
आश्रम विद्यालय (कुल 248 सीट प्रति विद्यालय) : • 10वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा			• अनुसूचित जनजाति की किशोरियों के लिए • कक्षा 1 में मौखिक परीक्षा • कक्षा 6, 7 एवं 8 में प्रवेश परीक्षा

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना : ● जन्म से दो वर्ष की आयु तक – रु. 5000/– ● पहली कक्षा में प्रवेष लेने पर – रु. 5000/– ● पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण करने पर एवं छठवी कक्षा में प्रवेश लेने पर – रु. 5000/– ● आठवी कक्षा उत्तीर्ण करने पर – रु. 5000/– ● दसवी कक्षा उत्तीर्ण करने पर – रु. 5000/– ● बारहवी कक्षा उत्तीर्ण करने पर – रु. 5000/– ● कुल राशि 18 वर्ष तक – रु.30,000/– ● अगर बेटी की षादी 18 से 20 वर्ष तक नहीं हुई तो – रु. 10,000/– ● इस तरह कुल मिलने वाली राशि – रु. 40,000/–	● आंगनवाड़ी केन्द्र में ● बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) के पास	● विद्यालय नामांकन का प्रमाण ● झारखण्ड निवासी प्रमाणपत्र ● बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और आधार ● अन्त्योदय राशन कार्ड ● बैंक पासबुक– प्रोत्साहन राशि सीधे खाते में जमा होगी अतः अभिभावक का बैंक खाता जो आधार से जुड़ा हो अनिवार्य है	● झारखंड राज्य में जन्मी बच्चियाँ ● बालिका के जन्म के तुरंत बाद इस योजना का लाभ लिया जा सकता हैं ● 18 से अधिक की आयु में इसका लाभ तब ही मिलेगा जब बेटी 20 वर्ष तक अविवाहित हो
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ● गरीब परिवार को बेटी की शादी के लिए रु. 30,000/– की आर्थिक सहायता ● बेसहारा एवं अनाथ लड़कियां	● ज़िला समाज कल्याण पदाधिकारी	● आय प्रमाण पत्र ● झारखण्ड निवासी प्रमाणपत्र ● गरीबी रेखा कार्ड ● आधार कार्ड साथ रखना होगा ● वर्तमान में ली गई 2 पासपोर्ट साइज फोटो ● बैंक पासबुक की फोटोकॉपी	● झारखण्ड का मूल निवासी ● गरीब वर्ग ● 18 साल से ऊपर किशोरियों के लिए ● सरकारी नौकरी न हो ● पहली शादी ● विवाह निबंधन प्रमाण पत्र

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वाबलंबन प्रोत्साहन योजना : ● रु. 1000/– प्रति माह सहायता स्वरुप सम्मान राशि ● जीवन यापन शैली हेतु प्रशिक्षण ● आवश्यकता अनुसार यंत्र एवं उपकरण ● दिव्यांग छात्रवृत्ति ● क्लास 1 से 8 – रु. 50 प्रति माह ● क्लास 9 से B.A. और उसके आगे – रु. 260/– प्रति माह ● व्यवसायिक ऋण – इच्छुक दिव्यांग व्यक्तियों को कम ब्याज में ऋण	● अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) की अध्यक्षता में गठित ज़िला स्तरीय समिति ● आंगनवाड़ी सेविका ● बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) ● ज़िला समाज कल्याण पदाधिकारी	● लाभुक का उम्र प्रमाण पत्र ● झारखण्ड निवासी प्रमाणपत्र ● ज़िला मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त ● बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता	● झारखण्ड के निवासी ● लाभुक केन्द्र उपक्रमों/केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों/केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मी ना हों ● लाभुक की उम्र 5 साल से अधिक होनी चाहिये ● लाभुक केन्द्र व राज्य सरकार की और से किसी दूसरी योजना के तहत लाभ न ले रहा हो ● लाभुक अथवा माता/पिता/अभिभावक की आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो ● नाबालिक तथा मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए राशि का भुगतान उन्हें किया जायेगा जिन पर वे आश्रित हैं

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
पालन–पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) : ● पारिवारिक माहौल में संरक्षण से वंचित बच्चों के लिए वैकल्पिक देखभाल ● असंबंधित परिवारों के साथ देखभाल और संरक्षण हेतु कम या फिर लम्बे समय के लिए रखा जाता है	● ग्राम बाल संरक्षण समिति ● ज़िला बाल संरक्षण इकाई ● पालन पोषण देखरेख (फोस्टर केयर) के अनुमोदन के लिए ज़िला स्तर "प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख ● अनुमोदन समिति (एस.ऐफ.सी.ए.सी.) का गठन किया गया है	● किसी कागजात की आवश्यकता नहीं ● गठित समिति द्वारा भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार कर बच्चे को सुरक्षा प्रदान किया जाता है	● 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (बालक/बालिका) ● जिनके माता–पिता मानसिक रूप से बीमार हैं तथा बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हैं ● जिनके माता या पिता या दोनों जेल में है ● ऐसे बच्चे, जो शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण, प्राकृतिक/मानव निर्मित आपदाओं, कृषि संकट एवं घरेलु हिंसा इत्यादि से पीड़ित हैं
बाल प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप योजना) : ● "प्रायोजन" योजना में बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा, एवं विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चे के परिवार को पैसे (रु. 2000/– प्रति माह) या अन्य माध्यमों से सहायता देने का प्रावधान है	● ज़िला बाल संरक्षण इकाई ● "प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (एस.ऐफ.सी.ए.सी.) का गठन किया गया है	● आय प्रमाण पत्र, ● बीपीएल कार्ड ● बैंक खाता	● 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (बालक/बालिका) ● परिवार की कुल वार्षिक आय रु. 75,000/– से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ● ऐसे बच्चे जो बाल देखरेख संस्थानों, पालन–पोषण देखरेख या समूह पालन–पोषण देखरेख में रह रहे हैं, जिन्हें वित्तीय सहयोग से उनके परिवार में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ● बाल विवाह, बाल श्रम, बच्चों का अवैध व्यापार या अन्य दुर्व्यवहार से प्रभावित बच्चे ● ऐसे बच्चे, जिन्हें किसी भी प्रकार की पुनर्वास सहायता की आवश्यकता है

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
दक्षता एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण : ● ग्रामीण किशोरियों हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण	● ज़िला बाल संरक्षण इकाई, उपायुक्त कार्यालय ● ज़िला समाज कल्याण पदाधिकारी	● ज़िला बाल कल्याण समिति द्वारा जारी किया गया आदेश	● मानव व्यापार की शिकार हुई किशोरियों के लिए

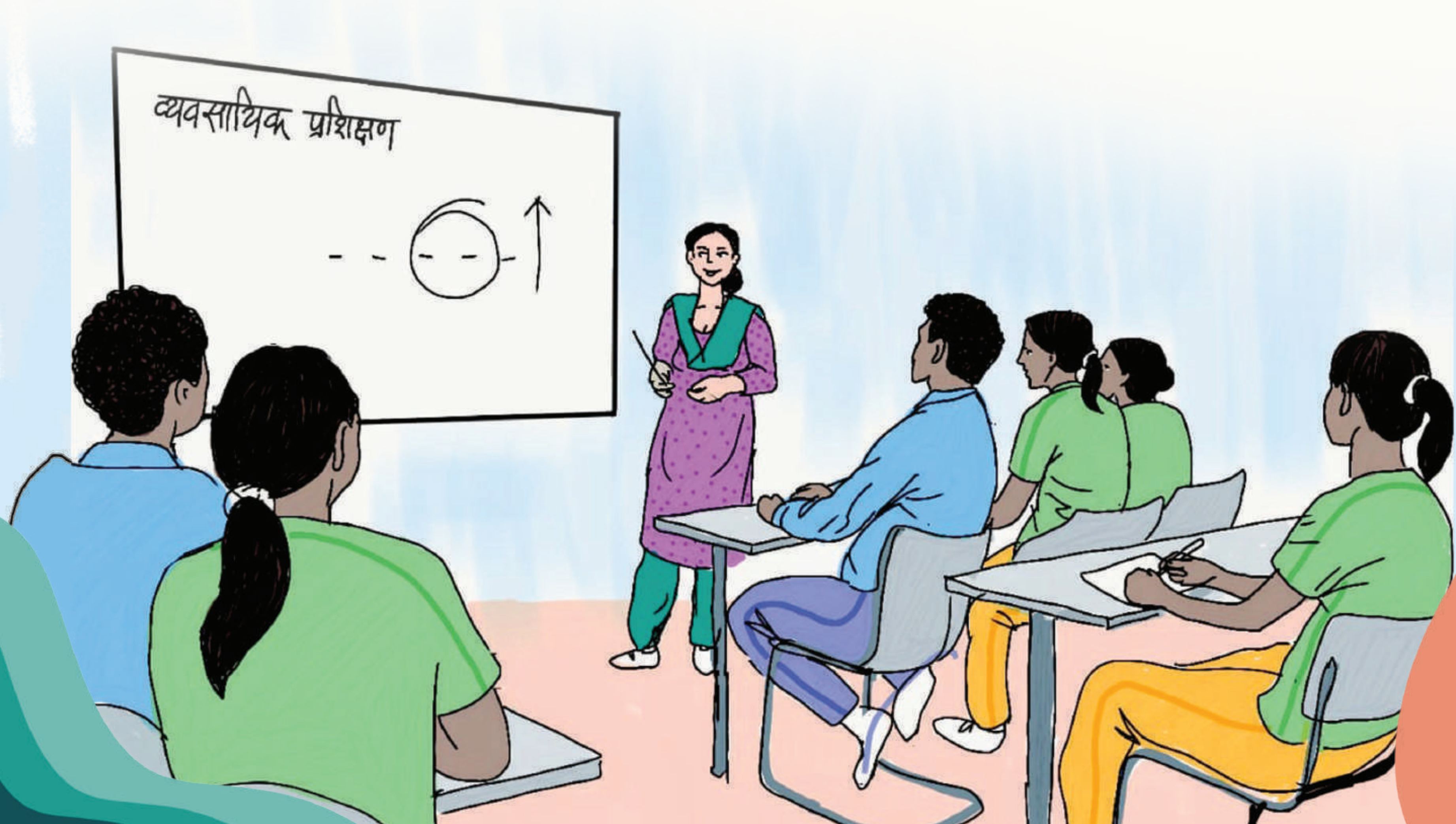

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना : ● निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण	● श्रम अधीक्षक के कार्यालय से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।	● शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र ● आवासीय प्रमाण पत्र ● जाति प्रमाण पत्र ● आधार कार्ड ● फोटो ग्राफ	● न्युनतम मैट्रिक पास

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
साई नर्सिंग प्रौद्योगिकी केन्द्र	● श्रम अधीक्षक के कार्यालय से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।	● शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र ● आधार कार्ड	● मैट्रिक पास

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधीत योजनाओं की जानकारी के लिए टोल-फ्री नं 18003456526 पर संपर्क करें

किशोरों किशोरियों के परिवारों से संबंधित योजनाएँ

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
अन्तरजातीय विवाह : ● वर–बधू को रु. 25000/– का अनुदान	● आंगनवाड़ी सेविका ● बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) ● ज़िला समाज कल्याण पदाधिकारी	● शादी का कार्ड दोनों पक्षों से एवं फोटो ● राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र	–

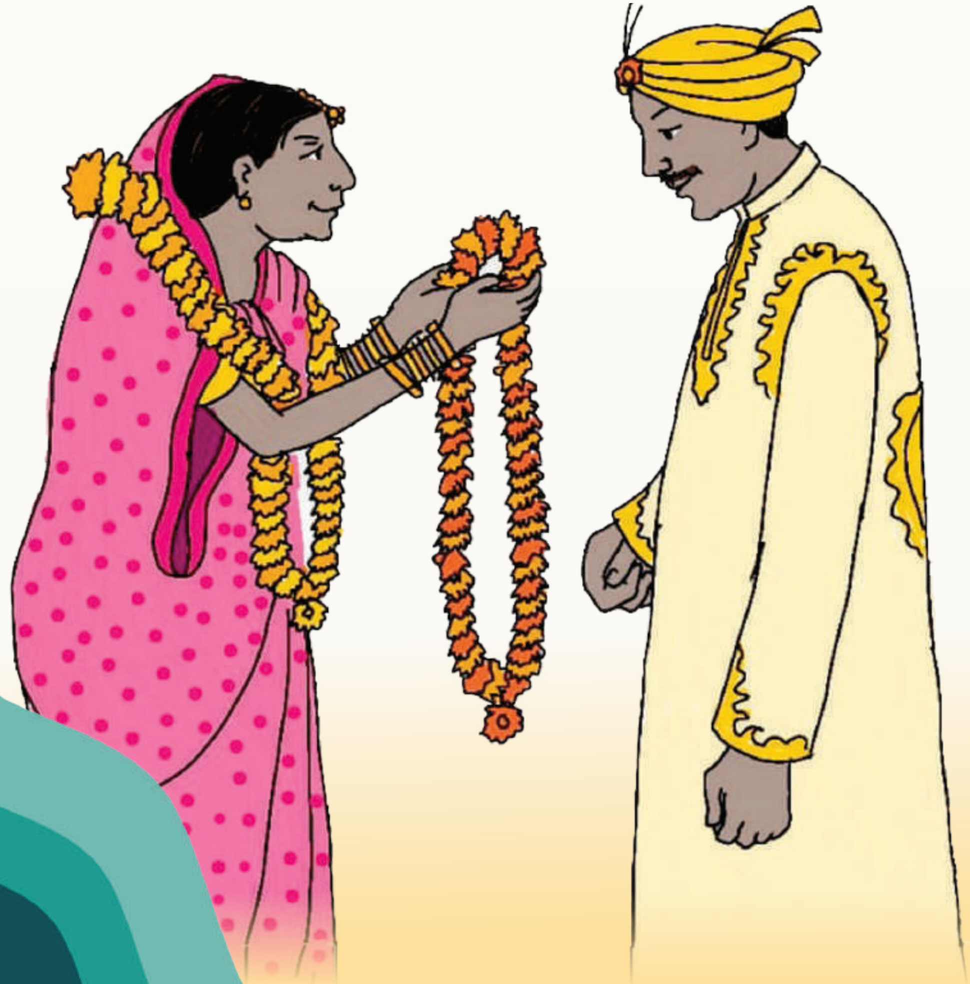

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
समेकित बाल विकास योजना : ● पूरक पोषण ● टीकाकरण ● स्वास्थ्य परीक्षण (महिला एवं बच्चे की स्वास्थ्य जाँच की सुविधा) ● रेफरल सेवा (स्वास्थ्य परिक्षण के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर रेफरल सेवा) ● पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा ● प्राथमिक शिक्षा (3–6 वर्ष तक के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा)	● आंगनवाड़ी केंद्र में सेविका के पार	● नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त पंजीकरण संख्या	● 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माता ● 15–45 वर्ष की किशोरियां और महिलाएँ ● 3–6 वर्ष के बच्चे
समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत कुपोषण उपचार केन्द्र : ● अति कुपोषित बच्चों का उपचार ● बच्चे के साथ आये अभिभावक/अटेंडेंट को रु. 200/– प्रतिदिन की दर से 15 दिनों तक भुगतान	● आंगनवाड़ी सेविका की मदद से सदर अस्पताल में नाम दर्ज करना होगा	● नाम एवं पंजीकरण क्रम	● अति कुपोषित बच्चे के लिए ● माता पिता की आय निर्धारित सीमा के अन्दर हो

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
मुख्यमंत्री मातृत्व जननी सुरक्षा योजना : ● प्रसव पूर्व जांच : टेटनस, आयरन गोली, ब्लड प्रेशर, वजन, खून जाँच ● संस्थागत प्रसव के बाद रु.1400/– ग्रामीण क्षेत्र में और रु.1000/– शहरी क्षेत्र में	● आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण	● आधार कार्ड ● बैंक पास बुक	● गर्भवती महिला
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (PMMVY) : आर्थिक सहायता 3 किस्तों में ● **पहली किस्त** – रु. 1000/–, गर्भावस्था के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण के समय ● **दूसरी किस्त** – रु. 2000/–, गर्भावस्था के 6 महीने बाद और प्रसव के पहले ● **तीसरी किस्त** – रु. 2000/–, बच्चे के जन्म और उसके पंजीकरण तथा टीकाकरण का प्रथम चक्र पूरा होने पर (रु. 1000/– का अतिरिक्त लाभ जननी सुरक्षा योजना के तहत महिला को प्रसव के दौरान दे दिया जाता है)	● आंगनवाड़ी केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में पंजीकरण कराया जा सकता है, सहिया (आशा कार्यकर्ता) मदद करती हैं	● आधारकार्ड की फोटोकॉपी (आधारकार्ड न होने पर पहचान संबंधी अन्य विकल्प) ● बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता की पासबुक ● PHC या सरकारी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य कार्ड ● सरकार विभाग/कंपनी/संस्थान से जारी कर्मचारी पहचान पत्र	● सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं ● महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ● सरकारी कर्मचारी, किसी अन्य योजना से लाभ पा रही प्राइवेट कर्मचारी या फिर पहले सभी किस्तें पा चुकी महिला को यह लाभ नही मिलेगा

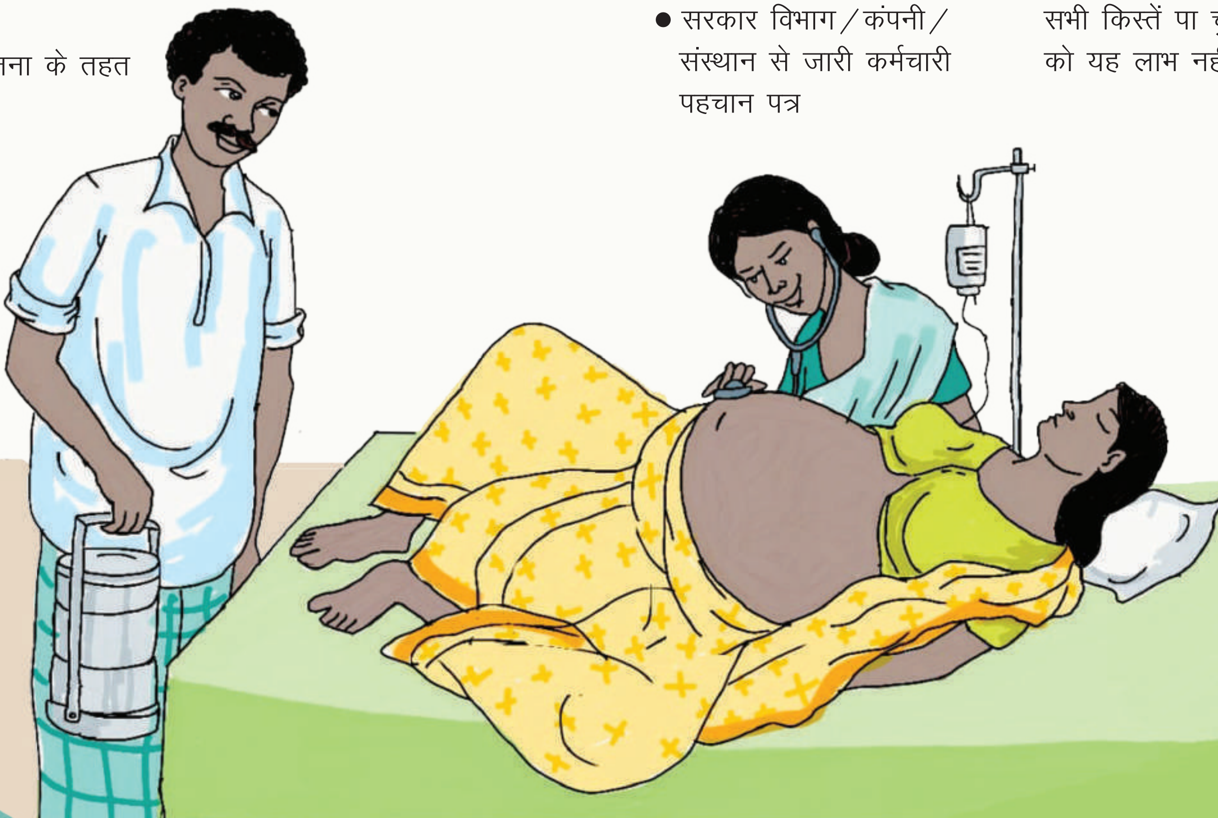

खाद्य एवं नागरिकता आपूर्ति विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
जन वितरण प्रणाली द्वारा राशन : ● 2.5 लिटर केरोसिन तेल रु. 50/– प्रति लिटर ● हर महीने 5 किलो प्रति गृहस्थी चावल और गेहूं दिया जाता है, रू 1/– प्रति किलो के दर से	● वार्ड सदस्य ● मुखिया	● राशन कार्ड ● आधार कार्ड	● कार्ड धारक परिवार को मिलेगा
अंत्योदय योजना : ● 35 किलो चावल प्रति परिवार प्रति माह, रु. 1/– प्रति किलो के हिसाब से	● पंचायत मुखिया/सचिव, आंगनवाड़ी सेविका अथवा डीलर से सम्पर्क	● राशन कार्ड ● आधार कार्ड ● पीला कार्ड	● विधवा और निःशक्तों को भी लाभ मिलेगा
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना : ● रु. 30,000/– प्रति परिवार	● मुखिया ● पंचायत सचिव	● मृत्यु प्रमाण पत्र आधार कार्ड ● बैंक पासबुक ● आवेदन मुखिया से अनुमोदित होना चाहिए	● BPL परिवार जिसके अन्नदाता की मृत्यु हो चुकी है

ग्रामीण विकास विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) : ● आवेदन के 15 दिनों के अन्दर गाँव के आस–पास 100 दिनों का रोजगार ● रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में भत्ते के आधे पैसे का भुगतान ● रु.194/– प्रतिदिन के हिसाब से साप्ताहिक रूप में भत्ते का भुगतान ● भत्ते के भुगतान में देरी होने पर 14 दिनों के भीतर भत्ते की पूरी राशि का भुगतान अनिवार्य ● 5–10 कि.मी. से अधिक दुरी पर रोजगार मिलने पर भत्ते कि राशि से 10% अधिक राशि का भुगतान ● कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोट या क्षति की स्थिति में प्रावधान के अनुसार इलाज की सुविधा	● रोजगार सेवक एवं मुखिया ● प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO)	● आधार कार्ड ● बैंक पासबुक राशन कार्ड ● अधिनियम के तहत जॉब कार्ड	● ग्रामीण बेरोजगार व्यस्क (18 वर्ष से ऊपर) को मिलेगा
प्रधानमंत्री वृद्धावस्था योजना : ● बुजुर्गों को रु. 1000/– प्रति माह	● पंचायत सेवक ● वार्ड सदस्य ● मुखिया से संपर्क करना होगा	● राशन कार्ड ● आधार कार्ड ● बैंक पास बुक ● झारखण्ड निवासी प्रमाणपत्र	● जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है ● झारखण्ड राज्य के निवासी

ग्रामीण विकास विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
प्रधानमंत्री आवास योजना : ● नए घर निर्माण के लिए रु. 1,20,000/– की वित्तीय सहयता प्रदान की जाती है ● मैदानी क्षेत्र एवं पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रो में रु. 1,30,000/– वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ● घर या तो महिला के नाम पर दिया जायेगा या पति/पत्नी दोनों के नाम पर	● मुखिया ● पंचायत भवन	● आधार कार्ड ● बैंक पासबुक	● Social Economic Caste Census (SECC) – 2011 की लिस्ट में नामित परिवार ● शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है

ग्रामीण विकास विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
प्रधानमंत्री जन–धन योजना : ● जमा राशि पर ब्याज ● एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा ● कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं ● रु. 30,000/– का जीवन बीमा ● भारत भर में धन का आसानी से बैंक खाते में हस्तांतरण ● सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ प्राप्त होगा	● किसी भी बैंक शाखा अथवा बैंक मित्र केंद्र में खाता खोला जा सकता है	● आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है ● पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वयं द्वारा प्रमाणित कागज़ात पर्याप्त है ● अगर आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो किसी एक की आवश्यकता होगी : मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैनकार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड ● केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, रोजगार प्रदान करने वाले सरकारी प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र या लाभुक के सत्यापित फोटो के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र	● कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के अंतर्गत "लाल कार्ड (स्वेच्छा से दूसरे राज्य में काम करने जाने वाले निबंधित श्रमिकों के लिए) **और हरा कार्ड** (एजेंट/ठेकेदार के माध्यम से जाने वाले निबंधित श्रमिकों के लिए) – ● प्रवास में मज़दूर की मृत्यु या स्थाई या पूर्ण निःशक्तता : रु. 1,50,000/– की बीमा राशि ● दो आंख या दो अंग भंग हो गए हो : रु. 1,50,000/– की बीमा राशि ● दुर्घटना में एक अंग की हानि : रु. 75000/– ● दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में ग्रसित मज़दूर जिसकी मृत्यु हो गई हो या अशक्त स्थिति में हो उसे दूसरे राज्य में उसके पैतृक आवास तक पहुंचाने का ● आर्थिक व्यय **अनिबंधित प्रवासी श्रमिकों** के लिए उक्त परिस्थितियों में रु. 1,00,000/–, रु. 50,000/– और रु. 10,000/– राशि देने का प्रावधान है।	● पंचायत सचिव ● श्रम अधीक्षक ● श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ● राज्य कार्यालय : श्रमायुक्त का कार्यालय, "श्रम भवन, डोरंडा, रांची, झारखंड, दूरभाष : 0651–2482040	● पोस्टमार्टम रिपोर्ट ● FIR की कॉपी ● मृत्यु प्रमाण पत्र ● निःशक्तता प्रमाण पत्र (अपेक्षित लाभ अनुसार दस्तावेज लगेंगे)	● प्रवास पूर्व पंजीकरण करना आवश्यक है ● भवन निर्माण में कार्यरत

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
झारखण्ड राज्य कामगार एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक बोर्ड में निबंधित महिला एवं पुरुष श्रमिकों के लिए :			
श्रमिक औजार सहायता योजना : सभी ट्रेड के औजार किट खरीदने के लिए रु. 2500/– राशि	● ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की विधिः • Shramdhan-jharkhand-gov-in पोर्टल खोलें • Login पर क्लिक करें • पोर्टल खुलने पर New Register पर क्लिक करें • User Id और पासवर्ड से सम्बंधित फॉर्म भरें • User Id और पासवर्ड डालें • Services में जाएँ • Workers registration पर क्लिक करें • Construction worker पर क्लिक करें • आवेदन पत्र को भरें और Submit करें	● तीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो ● एकल या संयुक्त बैंक खाता ● स्वयं एवं नामित का आधार कार्ड ● 90 दिन कार्य किये जाने से सम्बंधित प्रमाण पत्र ● रु. 10/– का निबंधन शुल्क एवं रु. 100/– वार्षिक सदस्यता शुल्क	● निबंधित श्रमिक ● विगत एक वर्ष में किसी भी निर्माण कार्य में कम से कम 90 दिन कार्यरत रहा हो। ● रु. 10/– निबंधन शुल्क एवं रु. 100/– का वार्षिक अंशदान
साईकल सहायता योजना : 18–45 वर्ष आयुवर्ग की महिला तथा पुरुष लाभुकों को रु. 3500/– राशि भुगतान			● महिला लाभुको के द्वारा सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ नहीं लिया गया हो ● 1 वर्ष से बोर्ड के सदस्य रहे हो और उन्होंने अगले 1 वर्ष का अंशदान जमा किया हो ● अन्य किसी योजना से साईकल प्राप्त नही किया हो ● निबंधित श्रमिक

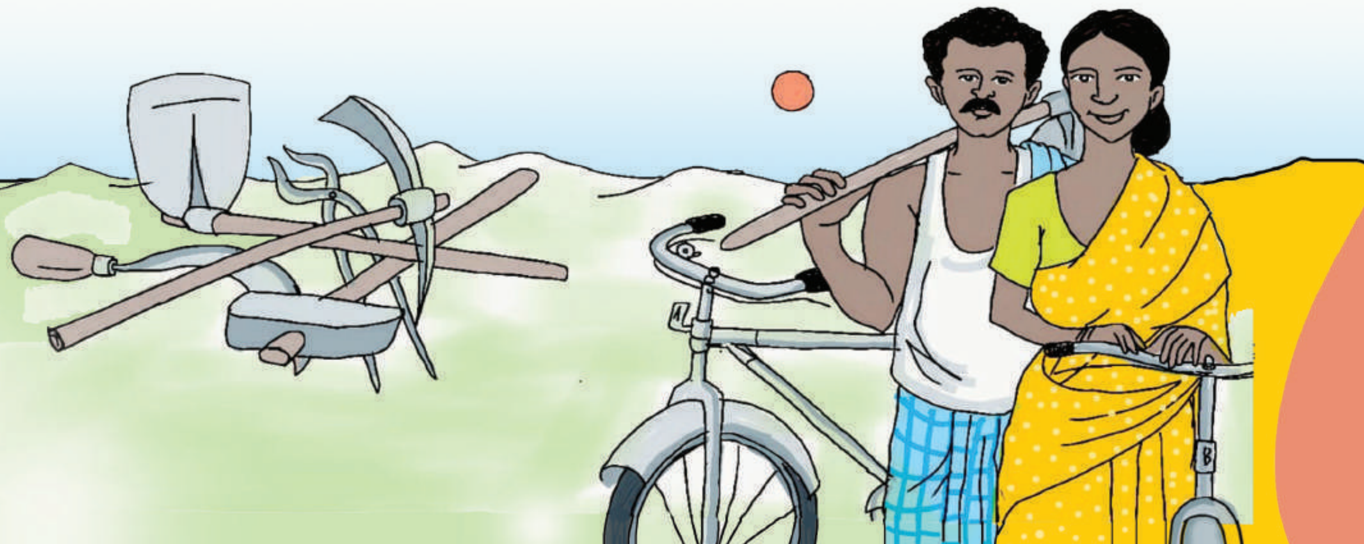

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
झारखण्ड राज्य कामगार एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक बोर्ड में निबंधित महिला एवं पुरुष श्रमिकों के लिए :			
मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना ● कक्षा 1–8 तक के सभी छात्रों को रु. 5000/– ● कक्षा 9–12 तथा इंटर स्तरीय या समकक्ष पाठयक्रम के लिए रु. 10,000/– ● स्नातक तथा स्नातकोत्तरस्तरीय या समकक्ष पाठयक्रम के लिए (डिप्लोमा सहित रु. 20,000/–) (इंजीनियरिंग तथा मेडिकल छोड़कर) ● स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए रु. 50,000/–	● ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की विधिः ● Shramdhan-jharkhand-gov-in पोर्टल खोलें ● Login पर क्लिक करें ● पोर्टल खुलने पर New Register पर क्लिक करें ● User Id और पासवर्ड से सम्बंधित फॉर्म भरें ● User Id और पासवर्ड डालें ● Services में जाएँ ● Workers registration पर क्लिक करें ● Construction worker पर क्लिक करें ● आवेदन पत्र को भरें और Submit करें	● तीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो ● एकल या संयुक्त बैंक खाता ● स्वयं एवं नामित का आधार कार्ड ● 90 दिन कार्य किये जाने से सम्बंधित प्रमाण पत्र ● रु. 10/– का निबंधन शुल्क एवं रु. 100/– वार्षिक सदस्यता शुल्क	●निबंधित लाभुको के दो संतानों के लिए ● कक्षा 1–5 तक सभी श्रेणी के छात्रों को ● कक्षा 6 से उपर की कक्षा में दितीय श्रेणी या 45% अंक प्राप्त कर उतीर्ण की हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो ● स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स में अध्यनरत होने पर छात्रवृत्ति या सम्बंधित संस्थान की वास्तविक ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति, दोनों में से जो अधिक हो। साथ ही एक वर्ष के अध्यन की अनिवार्यता होगी ● अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लिया हो

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
झारखण्ड राज्य कामगार एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक बोर्ड में निबंधित महिला एवं पुरुष श्रमिकों के लिए :			
चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना : ● गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर रु. 2,50,000/– तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	● ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की विधि: • Shramdhan-jharkhand-gov-in पोर्टल खोलें • Login पर क्लिक करें • पोर्टल खुलने पर New Register पर क्लिक करें • User Id और पासवर्ड से सम्बंधित फॉर्म भरें • User Id और पासवर्ड डालें • Services में जाएँ • Workers registration पर क्लिक करें • Construction worker पर क्लिक करें • आवेदन पत्र को भरें और Submit करें	● तीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो ● एकल या संयुक्त बैंक खाता ● स्वयं एवं नामित का आधार कार्ड ● 90 दिन कार्य किये जाने से सम्बंधित प्रमाण पत्र ● रु. 10/– का निबंधन शुल्क एवं रु. 100/– वार्षिक सदस्यता शुल्क	● निबंधित श्रमिक ● गंभीर बीमारी तथा कैंसर, हृदय रोग (शल्य क्रिया सहित) गुर्दा रोग (शल्य क्रिया सहित), असाध्य मानसिक रोग (शल्य क्रिया सहित), AIDS (एड्स), एवं अन्य बीमारियाँ ● ज़िला स्तरीय समिति के अनुसंशा के उपरांत योजनान्तर्गत मिलेगा
चिकित्सा सहायता योजना : ● अधिकतम 40 कार्य दिवस हेतु अकुशल श्रेणी को देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान			● निबंधित श्रमिक ● 5 या उससे अधिक कार्यदिवसों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर
मातृत्व प्रसुविधा योजना ● 6 सप्ताह गर्भ के लिए अकुशल श्रमिको के लिए देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान। ● प्रथम दो प्रसूतियों के लिए रु. 15000/– के भुगतान का प्रावधान			● निबंधित महिला लाभुक ● प्रथम दो प्रसूतियों के लिए

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
झारखण्ड राज्य कामगार एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक बोर्ड में निबंधित महिला एवं पुरुष श्रमिकों के लिए :			
अंत्येष्टि सहायता योजना : ● मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु रु. 10,000/– का भुगतान	● ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की विधिः • Shramdhan-jharkhand-gov-in पोर्टल खोलें • Login पर क्लिक करें • पोर्टल खुलने पर New Register पर क्लिक करें • User Id और पासवर्ड से सम्बंधित फॉर्म भरें • User Id और पासवर्ड डालें • Services में जाएँ • Workers registration पर क्लिक करें • Construction worker पर क्लिक करें • आवेदन पत्र को भरें और Submit करें	● मृत्यु प्रमाण पत्र	● निबंधित श्रमिक
विवाह सहायता योजना : ● दो संतानों के विवाह हेतु रु. 30,000/– की सहायता		● निबंधन प्रमाण पत्र, ● पांच वर्षों तक अंशदान का प्रमाण	● निबंधित श्रमिक ● 5 वर्षो तक लगातार अंशदान करने पर
पेंशन योजना : ● रु. 1000/– प्रतिमाह पेंशन के रूप में ● पांच वर्ष पुरे होने पर प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए रु. 25/– की वृद्धि होगी		● निबंधन प्रमाण पत्र, ● पांच वर्षों तक अंशदान का प्रमाण	● निबंधित श्रमिक ● तीन वर्षो तक बोर्ड में अंशदान किया हो ● 60 वर्ष आयु वर्ग

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
झारखण्ड राज्य कामगार एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक बोर्ड में निबंधित महिला एवं पुरुष श्रमिकों के लिए :			
नि:शक्तता पेंशन : ● रु. 1000/– प्रतिमाह ● अनुग्रह राशि रु. 10,000/– एकमुश्त भुगतान	● ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की विधि: • Shramdhan-jharkhand-gov-in पोर्टल खोलें • Login पर क्लिक करें • पोर्टल खुलने पर New Register पर क्लिक करें • User Id और पासवर्ड से सम्बंधित फॉर्म भरें • User Id और पासवर्ड डालें • Services में जाएँ • Workers registration पर क्लिक करें • Construction worker पर क्लिक करें • आवेदन पत्र को भरें और Submit करें	● निबंधन प्रमाण पत्र ● नि:शक्तता प्रमाण पत्र	● निबंधित श्रमिक ● वैसे लाभुक जो पक्षाधात, कुष्ठ, यक्ष्मा, दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अशक्त हो
परिवारिक पेंशन योजना : ● पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर पति/पत्नी को पेंशन का 50% या रु. 500/– अधिकतम का भुगतान		● निबंधन प्रमाण पत्र ● पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र	● पेंशन भोगी की मृत्यु की अवस्था में परिवार के सदस्यों को
अनाथ पेंशन : ● पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर अनाथ पेंशन, परिवार पेंशन जैसे दर से देय होगा व 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो के बीच समान रूप से विभाजित होगा			● लाभुक/पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
झारखण्ड राज्य कामगार एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक बोर्ड में निबंधित महिला एवं पुरुष श्रमिकों के लिए :			
निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना : ● निबंधित लाभुक/सदस्यों को सेफ्टी किट खरीदने के लिए रु.1000/–राशि	● ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की विधिः • Shramdhan-jharkhand-gov-in पोर्टल खोलें • Login पर क्लिक करें • पोर्टल खुलने पर New Register पर क्लिक करें • User Id और पासवर्ड से सम्बंधित फॉर्म भरें • User Id और पासवर्ड डालें • Services में जाएँ • Workers registration पर क्लिक करें • Construction worker पर क्लिक करें • आवेदन पत्र को भरें और Submit करें	● निबंधन प्रमाण पत्र ● उम्र की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र	● निबंधित लाभुक 18–59 वर्ष
			● निबंधित लाभुक 18–50 वर्ष
		● तीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो ● एकल या संयुक्त बैंक खाता ● स्वयं एवं नामित का आधार कार्ड ● 90 दिन कार्य किये जाने से सम्बंधित प्रमाण पत्र ● रु. 10/– का निबंधन शुल्क एवं रु. 100/– वार्षिक सदस्यता शुल्क	● निबंधित लाभुक

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
झारखण्ड असंगठित कर्मकार बोर्ड में निबंधित असंगठित महिला एवं पुरुष कर्मकार के लिए :			
असंगठित कर्मकार बीमा योजना : ● असंगठित निबंधित कर्मकारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ	● ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की विधिः • Shramdhan-jharkhand-gov-in पोर्टल खोलें • Login पर क्लिक करें • पोर्टल खुलने पर New Register पर क्लिक करें • User Id और पासवर्ड से सम्बंधित फॉर्म भरें • User Id और पासवर्ड डालें • Services में जाएँ • Workers registration पर क्लिक करें • Construction worker पर क्लिक करें • आवेदन पत्र को भरें और Submit करें	● निबंधन प्रमाण पत्र	● निबंधित कर्मकार ● झारखण्ड में कार्यरत असंगठित कर्मकार ● स्वीकृति पदाधिकारी जिले के श्रम अधीक्षक
अंत्येष्टि सहायता योजना : ● सामान्य स्थिति में मृत्यु(60 वर्ष तक) अंत्येष्टि के लिए 15000/– रूपये की सहायता ● कार्य के दौरान दुर्घटना एवं व्यवसाय जन्य रोग से मृत्यु होने पर 25000/– रूपये की सहायता		● निबंधन प्रमाण पत्र सामान्य मृत्यु होने पर=मृत्यु प्रमाण पत्र, निबंधन प्रमाण पत्र। ● दुर्घटना एवं व्यवसाय जन्य रोग से मृत्यु होने=मृत्यु प्रमाण पत्र, निबंधन प्रमाण पत्र, FIR एवं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट	● निबंधित कर्मकार ● झारखण्ड में कार्यरत असंगठित कर्मकार ● स्वीकृति पदाधिकारी जिले के श्रम अधीक्षक
असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिए मुख्य मंत्री छात्रवृति योजना : कक्षा 1–4 = छात्र = 250/–, छात्रा = 250/– कक्षा 5–8 = छात्र = 500/–, छात्रा = 950/– कक्षा 9–10 = छात्र = 700/–, छात्रा = 1100/– कक्षा 10 = छात्र = 1400/–, छात्रा = 1800/– उच्च शिक्षा =गैर तकनिकी या गैर व्यवसायिक = 4000/– इंजीनिअरिंग तथा मेडिकल में अध्ययनरत = 8000/–		● निबंधन प्रमाण पत्र	● निबंधित असंगठित कर्मकार के दो बच्चे ● स्वीकृति पदाधिकारी जिले के श्रम अधीक्षक

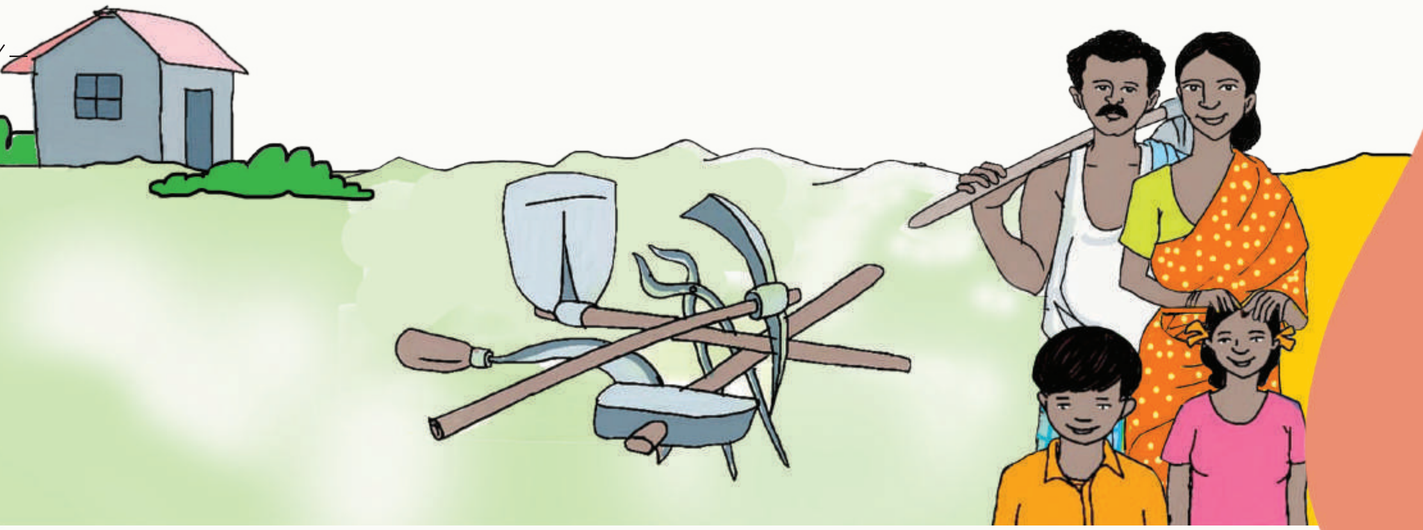

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
झारखण्ड असंगठित कर्मकार बोर्ड में निबंधित असंगठित महिला एवं पुरुष कर्मकार के लिए :			
कौशल उन्नयन योजना : ● निबंधित कर्मकार या उनके दो पुत्र/पुत्री को इच्छा एवं योग्यतानुसार उनके कौशल निर्माण हेतु चयनित सदस्यों की सूचि झारखण्ड कौशल विकास मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा	● ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की विधिः • Shramdhan-jharkhand-gov-in पोर्टल खोलें • Login पर क्लिक करें • पोर्टल खुलने पर New Register पर क्लिक करें • User Id और पासवर्ड से सम्बंधित फॉर्म भरें • User Id और पासवर्ड डालें • Services में जाएँ • Workers registration पर क्लिक करें • Construction worker पर क्लिक करें • आवेदन पत्र को भरें और Submit करें	● निबंधन प्रमाण पत्र	● निबंधित कर्मकार या उनके बच्चे ● स्वीकृति पदाधिकारी जिले के श्रम अधीक्षक
चिकित्सा सहायता योजना : ● निबंधित महिला कर्मकार को प्रथम दो प्रसूति के लिए प्रसूति के दौरान एकमुश्त रुपया 15000/– की सहायता		● निबंधन प्रमाण पत्र	● निबंधित असंगठित महिला कर्मकार ● प्रथम दो प्रसूति के लिए मान्य ● स्वीकृति पदाधिकारी जिले के श्रम अधीक्षक

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी के लिए टोल-फ्री नं 18003456526 पर संपर्क करें

पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

योजना का नाम और लाभ	आवेदन कहाँ जमा होगा	क्या दस्तावेज चाहिए	मानदंड
वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना : ● पंचायत स्तरीय फुटबॉल ग्राउंड बनेगा ● खेल सामग्री की व्यवस्था ● प्रखंड एवं ज़िला स्तर पर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण हेतू सुस्सजित प्रशिक्षण केंद्र ● खेल के माध्यम से सरकारी नौकरी में आरक्षण	● मुखिया ● पंचायत सचिव	● निबंधन प्रमाण पत्र	● सभी गाँव में होगा
युवा क्लब (समूह) : ● नेहरु युवा केंद्र से अच्छादित (एफिलिएटेड) ● नेहरु युवा केंद्र द्वारा रु.1000/– की खेल कूद सामग्री (फुटबॉल, जर्सी आदि) ● नेहरु युवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और अन्य टूर्नामेंट में नेहरु युवा केंद्र से जुडे युवा क्लब भाग ले सकते हैं	● ज़िला स्तरीय परियोजना समन्वयक, निकटम नेहरु युवा केंद्र कार्यालय	● समूह सदस्यों का आधार कार्ड (उम्र और स्थानीय पता प्रमाण)	●15–19 वर्ष के सदस्यों को ग्राम स्तर में समूह बनाना होगा ● प्रति समूह न्यूनतम सात सदस्य होने चाहिए

झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसायटी के अंतर्गत संचालित कौशल विकास से जुड़ी योजनाएँ

योजना का नाम और लाभ	जानकारी
• सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना • दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र (मेगा स्किल सेंटर) • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना • रेकोग्निसन ऑफ प्रायर लर्निंग	योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर **18001233444** पर संपर्क करें या वेबसाईट **http://sdm.jharkhand.gov.in** पर देखें

फैसिलिटेटर मार्गदर्शिका (Demonstration guidelines)

समुदाय के बीच सही तरीके से बुकलेट का इस्तेमाल हो इसके लिए यह आवश्यक है कि जिन्होंने बुकलेट में दिए **फैसिलिटेटर मार्गदर्शिका** (demonstration guidelines) को ध्यान से पढ़ा हो, वे ही इसमें लिखी जानकारी को दूसरों तक पहुँचाएं ताकि लोगों को उचित जानकारी प्राप्त हो सके।

i|fLrdk में दी गई योजनाओं की जानकारी देते समय निम्न बातों का ध्यान रखें –

1. स्पष्टीकरण को सबसे पहले पढ़ें और आखिर में भी दोहराएँ।
2. जिन लोगों को जानकारी दें रहे हैं उनकी जरूरतों को समझें, एवं वर्तमान में यदि किसी योजना का लाभ ले रहे हैं तो वह भी जाने।
3. ऐसी कोई अतिरिक्त जानकारी न दें जिसके बारे में आपको भी ठीक से पता ना हो, जैसे "मुखिया के पास जाने से पैसे मिल जाएँगे", "प्रखंड कार्यालय में आधार कार्ड बन जाएगा आदि।
4. यह ध्यान रखें कि योजनाओं की जानकारी देने का उद्देश्य यह है कि समुदाय में लोग अपनी पात्रता एवं अधिकारों को जान पाएँ और योजनाओं से जुड़ने का प्रयास करें, इस प्रकार परिवारों की स्थिति बदलेगी और बच्चे पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।
5. यह भी ध्यान रखें कि शादी से जुडी योजनाओं का उद्देश्य किशोरी सशक्तिकरण और बिना किसी अवरोध के शिक्षा जारी रखने का है., "अठारह वर्ष पूरे होते ही पैसे मिल जाएँगे और बच्ची की शादी में मदद होगी"– ऐसे कथनों का इस्तेमाल बिलकुल भी न करें।

उमंग

इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन (आई.सी.आर.डब्ल्यू.) का "उमंग" कार्यक्रम सहयोगी संस्थाओं बदलाव फाउंडेशन, साथी एवं प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल (पी.सी.आई.) के साथ मिलकर गोड्डा और जामतारा ज़िलों में चलाया जा रहा है। उमंग एक ikp वर्षीय बहुस्तरीय कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य झारखंड में बाल विवाह के कारणों का पता लगाकर बाल विवाह के दर में कमी लाने हेतु एक मॉडल तैयार करना है।

ICRW
INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON WOMEN
PASSION. PROOF. POWER.

ICRW Ranchi Office:
405, 4th Floor, Krishna Mall, Ashok Nagar,
Between Road No. 1&2, Opposite Central GST Office,
Ranchi - Jharkhand - 834002
Tel. - 0651-2244416/2244417

ICRW Asia Regional Office:
Module No 410, Fourth Floor,
NSIC Business Park Building, Okhla Industrial Estate
New Delhi – 110020, India
T +91.11.46643333
Email: Info.india@icrw.org

Compiled by: Tanvi Jha, Binit Jha, Sakti Ghosh (ICRW). Illustrations by: Sitaram

Design By: Inzenius Consultancy Services Pvt. Ltd./2020/07